

न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं०-27 सन् 2019

हरेन्द्र सिंह.....वादी।

बनाम

पवन सिंह वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक- 23.05.2025

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 05.12.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं० 01 पवन सिंह थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 02.12.2024 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं० 01 का नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं० 01 पवन सिंह का नाम वादपत्र से कलमजद करन उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं० 01 पवन सिंह थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 02.12.2024 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त आवेदन शपथ पत्र के साथ समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उपरोक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 05.12.2024 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, प्रथम्

सोनपुर, सारण।